केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
कृषि भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

सं. जे-25/7/2022-सीपीयू अनुभाग 12 जून 2025

"विनियामक अनुपालन से संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ(ओं) और पेशेवर(ओं) [स्तर-I] की नियुक्ति"

1. पृष्ठभूमि

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए है। सीसीपीए या केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना 24 जुलाई, 2020 से लागू हो गई है।

2.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत सीसीपीए के वैधानिक कार्य निम्नलिखित हैं:

(क) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर या केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच करना या जांच करवाना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करना;
(ग) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के किसी भी आरोप के संबंध में जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;
(घ) उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मामलों और उनके आनंद को बाधित करने वाले कारकों की समीक्षा करना, जिसमें किसी अन्य कानून के तहत उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;
(ङ) उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना;
(च) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना;
(छ) उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और बढ़ावा देना;
(ज) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग करने और काम करने के लिए प्रोत्साहित करना;
(ञ) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, आवश्यकतानुसार ऐसे सामानों में अद्वितीय और सार्वभौमिक माल पहचानकर्ताओं के उपयोग को अनिवार्य बनाना; जिला कलेक्टर की शक्तियाँ। प्राधिकारियों को शिकायतें। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य;
(ट) खतरनाक या हानिकारक या असुरक्षित वस्तुओं या सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी करना;

(ठ) उपभोक्ता कल्याण उपायों पर केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को सलाह देना;

(ड) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।

2.2. धारा 19 के अंतर्गत, केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त शिकायत, सूचना या निर्देश के आधार पर या स्वप्रेरणा से, जहां प्रथम दृष्टया उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या किसी अनुचित व्यापार व्यवहार या किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन का मामला प्रतीत होता है, जो सार्वजनिक हित या उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, जांच करा सकता है। प्रारंभिक जांच के बाद, यदि केन्द्रीय प्राधिकरण का मत है कि मामले को किसी अन्य कानून के तहत स्थापित विनियामक द्वारा निपटाया जाना है, तो वह ऐसे मामलों को संबंधित विनियामक को संदर्भित कर सकता है।

2.3. धारा 20 के अंतर्गत, जहां जांच के आधार पर केंद्रीय प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, केंद्रीय प्राधिकरण आवश्यक आदेश पारित कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) खतरनाक, हानिकारक या असुरक्षित वस्तुओं को वापस लेना या सेवाओं को वापस लेना;

(ख) इस प्रकार वापस मंगाए गए माल या सेवाओं के मूल्य की प्रतिपूर्ति ऐसे माल या सेवाओं के क्रेताओं को की जाएगी; तथा

(ग) उन प्रथाओं को बंद करना जो उपभोक्ताओं के हितों के प्रति अनुचित और प्रतिकूल हैं।

2.4. धारा 21 के तहत, केंद्रीय प्राधिकरण झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के मामले में या जो उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल है या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है, विनिर्माता या पृष्ठांकनकर्ता को जुर्माना लगाने के साथ-साथ उन्हें बंद करने या संशोधित करने का निर्देश दे सकता है।

2.5 धारा 22 के अन्तर्गत, जांच करने के लिए, प्रारंभिक जांच के पश्चात, केन्द्रीय प्राधिकरण तलाशी और जब्ती की कार्रवाई भी कर सकता है। (तलाशी और जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे।

3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अपने अधिदेश की पूर्ति के लिए, सीसीपीए विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की सहायता के लिए निम्नलिखित विषयों (स्तर- I पर) में विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है:

क्र. सं.	डिसिप्लीन/बैकग्राउंड	पदों की संख्या
1.	विधि	3 (तीन) पद*

* इन पदों के अतिरिक्त, एक वर्ष की अवधि के लिए 5 (पांच) पात्र अभ्यर्थियों का एक पैनल भी तैयार किया जाएगा, जिस पर उक्त अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों के मामले में विचार किया जाएगा।

4. पेशेवर विशेषज्ञ के लिए प्रस्तावित कार्य का दायरा:- केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ और पेशेवर ऐसे कार्य करेंगे जो केन्द्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे।

5.1 योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञों और पेशेवरों का वर्गीकरण और भुगतान शर्तें आदि:-

विशेषज्ञ(यों) और पेशेवर(यों) की श्रेणी, योग्यताएं, अनुभव आदि अनुसूची-I में दर्शाए गए हैं। संबंधित विषय में अपेक्षित अनुभव का विवरण अनुसूची-II में दिया गया है तथा तदनुसार एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

5.2 कार्य की अवधि और निष्पादन का मूल्यांकन: विशेषज्ञों और पेशेवरों को सामान्यतः अनुबंध के आधार पर कम से कम छह महीने और अधिकतम तीन साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा हर छह महीने में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाएगी ताकि उनके जारी रहने या न रहने पर निर्णय लिया जा सके।

5.3 अन्य नियम एवं शर्तें:

i. जिस विशेषज्ञ या पेशेवर ने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, उसे कोई भी कार्य सौंपे जाने से पहले एक अनुबंध करना होगा और ऐसे अनुबंध में गोपनीयता का खंड और नियुक्ति की शर्तों का विवरण शामिल होगा।

ii. यदि केन्द्रीय प्राधिकरण आवश्यक समझे तो किसी विशिष्ट मामले में नियुक्ति की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है।

iii. नियुक्ति को विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक महीने का नोटिस देकर पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

iv. केन्द्रीय प्राधिकरण को उपलब्ध कानूनी उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निष्पादित अनुबंध की शर्तों और निबंधनों का कोई भी उल्लंघन उक्त अनुबंध के अंतर्गत की गई नियुक्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा और ऐसे विशेषज्ञ या पेशेवर को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में नियुक्ति से वंचित किया जा सकेगा।

v. यह नियुक्ति केवल पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति से सीसीपीए में नियमित नियुक्ति या निरंतर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

6.1 इच्छुक और पात्र व्यक्ति केवल URL https://jagograhakjago.gov.in/ccpa पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन होगी। सभी पहलुओं से पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रासंगिक संलग्नकों के बिना प्राप्त आवेदन या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6.2 केवल चयनित पात्र उम्मीदवारों को ही चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा।

(अनुपम मिश्रा)
आयुक्त
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
टेलीफोन: 23386666

अनुलग्नक

आवेदन: _____

बायो-डेटा

Passport size photograph

1. अभ्यर्थी का नाम:

2. जन्मतिथि:

3. पिता का नाम:

4. वर्तमान पता:

5. स्थायी पता:

6. पत्राचार पता:

दूरभाष.

मोबाइल नं.

ईमेल आईडी:

7. (क) अर्हताएं:-

क्र. सं.	डिग्री	विश्वविद्यालय/इंस्टीट्यूट	फील्ड/विशेषता	उत्तीर्ण वर्ष

(सभी प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी)

(ख) अनुभव (नियोक्ता द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए):-

नियुक्ति का विवरण, उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में:

क्र. सं.	कार्यालय/संस्था/संगठन	धारित पद	अवधि		कर्तव्यों की प्रकृति संक्षेप में
			से	तक	

(ग) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, (जिसे आप एक विशेषज्ञ और पेशेवर के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो एक अलग शीट संलग्न करें। शोध प्रकाशनों या प्रकाशित लेखों की प्रतियां, यदि कोई हों, संलग्न करें। साथ ही, अनुशंसा पत्र, यदि कोई हों, संलग्न करें।

प्रतिज्ञा पत्र

मैं वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक:

स्थान:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुसूची I

अनुशासन	अर्हताएं	अनुभव
विधि	**अनिवार्य** – (i) भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएलबी या समकक्ष की डिग्री, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी भी राज्य भारतीय बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने की योग्यता। **वांछित** – उपभोक्ता कानून या विनियामक कानून के विषय में कोई उच्च योग्यता।	i. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या सरकारी या नियामक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या किसी अन्य समान फोरम में न्यायिक या कानूनी कार्य का अनुभव, या ii. भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या व्यावसायिक संस्थान में विधि के प्रोफेसर/रीडर/व्याख्याता, उपभोक्ता कानून पढ़ाने में विशेषज्ञता के साथ, या iii. कॉर्पोरेट क्षेत्र में कानूनी प्रबंधक या वरिष्ठ पद, उपभोक्ता कानून के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायतों, उत्पाद दायित्व कार्यवाही, क्लास एक्शन आदि से निपटने का अनुभव।

अनुसूची II

विशेषज्ञों और पेशेवरों का स्तर	**वर्षों में वांछित अनुभव**	**एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक**
(1)	**(2)**	**(3)**
लेवल I	तीन वर्ष तक	प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹50,000।